

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 34/2020

बउनवान

मदनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी डांगपुरा तहसील छबडा जिला बारों

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, छबडा जिला बारों

(रेस्पोंडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री कृष्णाकांत शर्मा अभिभाषक

(अपीलांट)

2- पेरोंकार सरकार

(रेस्पोंडेन्ट)

निर्णय दिनांक 11.02.2020

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 263/2019 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट को वाके ग्राम डांगपुरा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2076 में खसरा नम्बर 10 की रकबा 3 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150/- रुपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 7.2.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोंडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दण्डित फरमाने में कानूनी भूल की है। यह कि सरकारी भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का समस्त अवलोकन न कर अपीलांट को दण्डित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दण्डित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर बिना पी-14 की नकल शामिल किए व पटवारी हल्का के बयान दिए बिना अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलांट को दण्डित फरमाने में कानूनी भूल की है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेशेकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया है। जिसकी तामील करवाई गयी है। अपीलान्ट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल नम्बर 267/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2018 से तावान से दण्डित किया जाकर मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया था। अपीलान्ट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्कों का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई है। अपीलान्ट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में उपस्थित रहा है। पत्रावली में अतिक्रमित रकबा अधिक है और अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 263/2019 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति० जिला कलक्टर,
बारां

